<u>आवश्यक शर्त्ते</u> :–

1. आपूर्तिकर्त्ता को अपने निजी खर्च पर स्वस्थ एवं जीवित अवस्था में अच्छे गुणवत्ता वाले पंगेशियस अथवा मोनोसेक्स तिलापिया बीज को केज स्थल तक पहुँचाकर आपूर्त्ति करना होगा।
2. आपूर्त्ति की जाने वाली पंगेशियस बीज प्रति किलोग्राम 500–600 पीस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज प्रति किलोग्राम 2500 से 3000 पीस से अधिक संख्या की नहीं होनी चाहिए।
3. पंगेशियस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज का विभागीय दर 1.50/–रू0 प्रति पीस है (परिवहन सहित)।
4. इच्छुक आपूर्तिकर्ता/अधिकृत बिक्रेता को पैन कार्ड की छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
5. वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक का आयकर रिर्टन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज नही होने तथा उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नही होने का स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिला स्तरीय समिति द्वारा मत्स्य बीज का निर्धारित दर के उपरांत निर्गत कार्यदिश के प्रतिकूल कार्य होने/इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए निहित शर्तो का उल्लंघन अथवा कार्य के दौरान किसी भी तरह के कानूनी विवाद होने की स्थिति में निपटारे हेतु क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय, हजारीबाग का होगा।
8. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में मत्स्य बीज आपूर्ति करने का अनुभव विगत एक वर्ष का ब्योरा इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ साथ संलग्न सभी प्रतियॉ/छायाप्रतियॉं स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
10. इच्छुक आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर ष्तकनीकी प्रस्तावष अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 20,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग के पदनाम से, हजारीबाग में भुगतेय होगा, दूसरे लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र (दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय सहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर ष्वित्तीय प्रस्तावष अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर पंगेशियस/मोनोसेक्स तिलापिया मत्स्य बीज हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति लिखकर तथा मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। यदि इच्छुक आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता ''तकनीकी प्रस्ताव'' में सफल होने बाले इच्छुक आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता का ही प्रस्तुत ''वित्तीय प्रस्ताव'' को खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दो में अंकित होना चाहिए। मत्स्य बीज लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र पर सामग्री का नाम लिखा होना चाहिए एवं संबंधित उपक्रम/आपूर्तिकर्ता की मुहर होनी चाहिए।
11. सूचीबद्ध होने के उपरांत पंगेशियस एवं मोनोसेक्स तिलापिया बीज का आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली बीज को आपूर्ति के पश्चात् दो दिनों तक स्वस्थ अवस्था में रहने के उपरांत ही राशि की भुगतान किया जा सकता है।
13. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की जाने वाली मत्स्य अंगुलिका की कुल राशि का विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता को शेष राशि केज लाभुक से प्राप्त करना होगा। इसके लिए विभाग की जवाबदेही नही होगी।
14. विभाग हित में इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिर्वतन करने, इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की शर्तो में बिना कारण बताए अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने, अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
15. इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 11.06.2021 के पूर्वाहन 11:00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन मध्यान 12:00 बजे उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। आवेदक स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इच्छा की अभिव्यक्ति में भाग ले सकतें है।

ह0/–
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
हजारीबाग।